

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

ठेका स्टेशनरी दूकान हेतु निविदा आवेदनपत्र
निविदा खुलने का स्थान-नजारत अनुभाग
तिथि एव समय -22.10.16 समय 1.00बजे

पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो

1. निविदा कर्ता का पूरा नाम -
2. पिता का नाम -
3. वर्तमान स्थायी पता -

4. मोबाइल नम्बर -
5. ठेके की धनराशि (अंको में) -
(शब्दों में) -
6. पहचान पत्र का विवरण -

निविदा कर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर। निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ठेका स्टेशनरी दूकान हेतु सीलबन्द निविदा निर्धारित फार्म पर दिनांक-22.10.2016 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नियत समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त निविदायें दिनांक-22.10.16 को समय 1.00 बजे नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में नीलामी समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ स्टेशनरी दूकान की प्रतिभू धनराशि रू0 1000/- नकद जमा करना अनिवार्य होगा। जो निविदायें स्वीकृत नहीं होगी उनकी प्रतिभू धनराशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस में निविदाकर्ता को वापस कर दी जायेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को है।

निविदा फार्म, निविदा के नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय सुलतानपुर की आफिसियल वेबसाइट ecourts.gov.in/sultanpur पर उपलब्ध है तथा निविदा फार्म नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में भी उपलब्ध है।

(अभय कृष्ण तिवारी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
पर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
सुलतानपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।
ठेका स्टेशनरी दूकान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा स्वीकृत किये जाने की दशा में निविदाकर्ता को निविदा में अंकित ठेके की धनराशि की 1/3 धनराशि तुरन्त जमा करना होगा शेष धनराशि दो समान किश्तों में माह नवम्बर 2016 एवं जनवरी 2017 में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा कर्ता को ठेका स्टेशनरी दूकान हेतु प्रतिभू धनराशि रू01000/- (रूपये एक हजार मात्र) नकद जमा करना होगा।
3. स्वीकृत निविदा कर्ता को नगरपालिका परिषद एवं जिला परिषद सुलतानपुर को देय समस्त कर स्वयं वहन करना होगा।
5. स्वीकृत निविदा कर्ता को निविदा स्वीकृत होने के 10दिन के अन्दर अनुबन्ध करना होगा जिसका सम्पूर्ण व्यय निविदा कर्ता का होगा।
6. जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर को यह अधिकार है कि वह निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, सुलतानपुर का होगा।

(अभय कृष्ण तिवारी) 10
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट
सुलतानपुर।